पत्रांक–7/पद सृजन–15–05/2015सा0प्र0...../

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक.....

विषयः– **राज्य के व्यवहार न्यायालयों में आधारभूत संरचना विकास कार्य की अनुश्रवण हेतु नियमित आधार पर ₹11,95,442/–(ग्यारह लाख पिचानबे हजार चार सौ बयालीस रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय भार पर विशेष कार्य पदाधिकारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के 01 (एक) पद का सृजन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–40596 दिनांक 22.07.2015 में राज्य में नवगठित नौ जिला न्यायालय एवं सत्रह अनुमंडलीय न्यायालयों एवं विभिन्न जिलों में न्यायालयों तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण/विस्तार के जारी कार्यों के आलोक में तथा व्यवहार न्यायालयों में आधारभूत संरचना विकास कार्य की दैनिक प्रगति का सभी जिला न्यायाधीशों तथा भवन निर्माण विभाग, विधि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावी अनुश्रवण हेतु नियमित आधार पर असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि या असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि (पाँच वर्ष के अनुभव के साथ) में विशेष कार्य पदाधिकारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के 02 (दो) पदों के सृजन की अनुशंसा प्राप्त थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत व्यवहार न्यायालयों में आधारभूत संरचना विकास कार्य की दैनिक प्रगति का सभी जिला न्यायाधीशों तथा भवन निर्माण विभाग, विधि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावी अनुश्रवण हेतु महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्र सह संलग्न विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में ₹11,95,442/–(ग्यारह लाख पिचानबे हजार चार सौ बयालीस रूपये) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से नियमित आधार पर असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि या असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि (पाँच वर्ष के अनुभव के साथ) में विशेष कार्य पदाधिकारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सृजित पद के विरूद्ध पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारी माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधीश तथा महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय–**बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001"** होगा तथा संबंधित **जिला एवं सत्र न्यायाधीश** इसके **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी** होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अरूण प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–05/2015सा0प्र0 16066 /पटना–15, दिनांक 10-11-15

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 26.09.2015 के मद संख्या–5 के प्रसंग में/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।